राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 5(31)कार्मिक/क–2/84 जयपुर, दिनांक: 26-10-2021

1. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषयः– उत्कृष्ट खिलाडियों को विभिन्न राजकीय सेवाओं में आरक्षण के संबंध में।

राज्य में राजस्थान लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर के पदों पर सीधी भर्ती में कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत आरक्षण उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए देने का प्रावधान विविध अधीनस्थ सेवा नियमों, मंत्रालयिक सेवा नियमों एवं चतुर्थ क्षेणी सेवा नियम में किया गया है। अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 द्वारा उत्कृष्ट खिलाडी (Outstanding Sports Person) की श्रेणी में राष्ट्रीय खेलों में प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थान राज्य के उत्कृष्ट खिलाडियों को भी सम्मिलित किया गया है। खिलाड़ियों को देय आरक्षण क्षैतिज आरक्षण होने के कारण चयन की स्थिति में उत्कृष्ट खिलाड़ी को उसी प्रवर्ग में समायोजित किया जाता है, जिससे वह संबंधित होता है।

इस विभाग के परिपत्र दिनांक 31.01.2020 द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण देने संबंधी प्रावधानों की कठोरता से पालना करने हेतु निर्देशित किया गया था, परंतु राज्य सरकार के समक्ष उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना नहीं किये जाने की शिकायते प्राप्त हो रही है।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों/विभागाध्यक्षों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि सीधी भर्ती के पदों पर भर्तियों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण देने हेतु अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अद्यतन प्रावधान सहित संबंधित नियमों की कठोरता से पालना करावें, जिससे राज्य के प्रतिवाभान खिलाड़ियों को राजकीय सेवा में अधिकाधिक नियुक्तियां प्रदान की जा सके।

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, माननीय राज्यपाल।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव गण।
5. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
7. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली

26/10/21
प्रमुख शासन सचिव

48/2021